माता-पिता का अधिकार पत्र

एक अशक्त बच्चे के माता-पिता के रूप में, आपको अधिकार है:

1. वैयक्तिकृत शिक्षा कार्यक्रम (IEP) की बैठकों में शामिल होना और अपने बच्चे के हितों का प्रतिनिधित्व करना;

2. वैयक्तिकृत शिक्षा कार्यक्रम (IEP) की बैठकों में कोई वकील या विशेषज्ञ रखना;

3. अपने बच्चे के मूल्यांकन की प्रति प्राप्त करना, इससे असहमत होना, और सार्वजनिक खर्च पर एक स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन के लिए अनुरोध करना;

4. मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में बाहरी स्रोतों से लिखित रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

5. अपने बच्चे से संबंधित समस्त शिक्षा रिकॉर्ड की जांच करना और वैयक्तिकृत शिक्षा कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध कराना;

6. वैयक्तिकृत शिक्षा कार्यक्रम (IEP) टीम के निर्णय से असहमत होना और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में बाल शिकायत दर्ज करने, राज्य प्रदत्त मध्यस्थता, विधिवत निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रिया प्राप्ति, और न्यायालय में विधिवत प्रक्रिया के निर्णय पर अपील करने सहित शिकायत प्रक्रिया का अनुसरण;

7. वैयक्तिकृत शिक्षा कार्यक्रमों (IEPs) और आईइपी के किसी पहलू में बदलाव के किसी निर्णय के समीक्षा सत्रों में भाग लेना, साथ ही आपके बच्चे के शैक्षिक स्थान अथवा स्वतंत्र एवं उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान में बदलाव से पहले कार्यवाही की लिखित सूचना प्राप्त करना;

8. अधिकतम उपयुक्त परिमाण के लिए अपने बच्चे को कम प्रतिबंधित वातावरण और सामान्य शिक्षा कक्ष में रखना;

9. यदि आपकी अंग्रेजी भाषा की निपुणता सीमित है तो प्रभावी संचार उपलब्ध कराने के लिए सहायता का अनुरोध करना;

10. आपके बच्चे के लिए वैयक्तिकृत शिक्षा कार्यक्रम के साथ मुफ्त उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम, आपके बच्चे की अलग जरूरतों को पूरा करने लिए तैयार किया गया है जिसमें विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं जैसे सहायक तकनीकी उपकरण और सेवाएं, परिवहन, वाक शक्ति निदान सेवाएं, श्रव्य विज्ञान सेवाएं, दुभाषिया सेवाएं, आचरण संबधित नियंत्रण सहित मनोवैज्ञानिक सेवाएं, शारीरिक चिकित्सा, व्यवसायजन्य चिकित्सा, चिकित्सीय मनोरंजन सहित मनबहलाव, पुनर्वास परामर्श, दिशा निर्धारण और गतिशीलता सेवाओं सहित परामर्श सेवाएं, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल नर्स सेवाएं, सामाजिक कार्य सेवाएं, माता-पिता परामर्श और प्रशिक्षण, तथा नैदानिक अथवा मूल्यांकन उद्देश्य के लिए चिकित्सा सेवाएं शामिल हो सकती हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं।

जान लें कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने कार्यक्रमों और क्रियाविधियों में जाति, रंग, मूल राष्ट्रीयता, लिंग, अशक्तता, या आयु के आधार पर भेद-भाव नहीं करता है। विभाग कार्यक्रमों तथा विभाग सेवाएं, गतिविधियां, तथा सुविधाएं जो अशक्त व्यक्तियों के पहुंच में तथा प्रयोग करने योग्य हो, के बारे में सवाल होने पर Jefferson State Office Building, Civil Rights Compliance (Title VI/Title IX/504/ADA/Age Act), 5th Floor, 205 Jefferson Street, Jefferson City, Missouri 65102-0480; टेलिफ़ोन नंबर 573-526-4757 अथवा Relay Missouri (800) 735-2966 पर संपर्क करें।

यह दस्तावेज किसी अधिकार अथवा संघीय या राज्य के कानून द्वारा प्रदत अधिकारों के अतिरिक्त कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, और यह केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए अभिप्रेत है। अतिरिक्त जानकारी के लिए, (573) 751-0699 या webreplyspeco@dese.mo.gov पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष शिक्षा प्रभाग से संपर्क करें।

1 जनवरी, 2010